

7.	परियोजना/स्कीम का नाम	जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या - 75 (बिवा - इटवा - दुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं० - 233 (वस्ती - बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल कि.मी. 61.60 एवं 0.6492 हैं। वन भूमि में मार्गों की बौद्धी पटरी पर भूमिगत अपिटकल फाइबर केबिल बिछाने की अनुमति के संबंध में।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर
(ii)	ज़िला	सिद्धार्थनगर
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सिद्धार्थनगर।
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेस) में	0.6492 हैं।
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.3
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्नक की जायें) सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एक और एल.एफ. और एल.-2 मीटर पर परिणामना और आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जायें।	लागू नहीं है।
(viii)	भूरक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा के अन्तर्गत।
(x)	क्या फार्म' उद्यान वन्यजीव, अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी काराडोर आदि का भग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीवनकार्ड का टिप्पणियों अनुबंधित की जायें।)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और दुलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्योरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी सक्षम प्राधिकरण से अपनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्योरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रश्नगत कार्य किया जाना जनहित में है जिससे आस-पास के लोगों को बात-चीत करने में सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास वन भूमि ही है अन्य कोई विकल्प वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। इस हेतु भूमि की माँग न्यूनतम है अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि दोष अधिकारियों पर की गई कार्यवाही वन ब्योरा दें तथा उल्लंघन संबंधी अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम वन ब्योरा।	

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित बनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्याप्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3678 / 14-2-2008 लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर 2008 के अनुपालन में केवल एक ही बार (one time) जनपद आगरा में कतेहाबाद-शमशाबाद-आगरा एवं इरादतनगर नगर मार्ग कुल लम्बाई 20 कि.मी. पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रु 10900000/- (एक करोड़ नौ लाख मात्र) ड्रॉफ्ट सं 300246 दिनांक 8.11.2013 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में याचक विभाग द्वाराइ जमा करा दिया गया है (प्रति संलग्न)
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित बनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	लागू नहीं है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	लागू नहीं है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	लागू नहीं है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।	लागू नहीं है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7,8,9 से पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।	संलग्न है
12.	विभाग / जिला प्रोफाइल	
i	जिले के मौगोलिक क्षेत्र	2895 वर्गि कि.मी.
ii	जिले का वन क्षेत्र	2395.12 हेठो
iii	मामलो की संख्या सहित 1980 से बनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	(क्ष) आरद्धित वन द्वैत - 1.373 हेठो (ख) संरक्षित वन द्वैत - 127.6834 हेठो
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वर्गीकरण	3.796 हेठो आरद्धित वन द्वैत 45.17 हेठो संरक्षित वन द्वैत
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	शून्य
ख	बनेत्तर भूमि	शून्य
ट	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
क	वन भूमि पर	46.747 हेठो
ख	बनेत्तर भूमि पर	रिक्त
13	प्रस्ताव की स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उपवन संरक्षक विशेष सिफारिश।	जनपद सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग संख्या - 75 (बेवा - इटवा - डुमरियागंज मार्ग) के कि.मी. 00.00 से कि.मी. 42.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं 233 (बस्ती - बांसी मार्ग) के कि.मी. 65.60 से कि.मी. 46.00 तक कुल कि.मी. 61.60 एवं 0.6492 हेठो वन भूमि में मार्गों की बाँहीं पटरी पर भूमिगत अप्टिकल फाइबर केबिल विछाने की अनुमति के संबंध में संस्तुति की जाती है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर  
नामप्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग  
सिद्धार्थनगर